प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

सुरक्षित किसान, राष्ट्र का अभिमान

राजस्थान सरकार तथा भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित

HDFC ERGO
Take it easy!

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु कृषकों के सहायतार्थ प्रश्नोत्तरी:

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

उत्तर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसलों से जुड़े हुए जोखिमों की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का माध्यम है। इससे किसानों को अचानक आए जोखिम या प्रतिकूल मौसम की वज़ह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाती है।

प्रश्न: फसल बीमा कौन करवा सकता है?

उत्तर: ऋणी एवं गैर ऋणी (बटाईदार/साझेदार) किसान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित की गई फसलों के बीमा का लाभ उठा सकते हैं। ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है। यदि कोई ऋणी कृषक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभ नहीं लेना चाहता है तो उन्हें बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गए निर्धारित प्रपत्र में लिखित में यह आवेदन करना होगा कि उसे **रबी 2020-21** के लिए फसल बीमा से पृथक रखा जाये। जिसके आवेदन की अन्तिम तिथि **8 दिसम्बर, 2020** है।

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए बीमित राशि क्या होगी?

उत्तर: बीमित राशि गत 7 वर्षों के अधिसूचित इकाई स्तर के उपज में से सर्वश्रेष्ठ 5 वर्षों के उपज के औसत को न्यूनतम समर्थन मूल्य से गुणा के अनुसार तथा जिन फ़सलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं है उनके लिए बाजार भाव से गुणा कर तय की गयी है।

प्रश्न: फसल बीमा के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर क्या हैं?

उत्तर: खरीफ मौसम के लिए 2 प्रतिशत, रबी मौसम हेतु 1.5 प्रतिशत, व्यावसायिक और बागवानी फसलों हेतु बीमित राशि का 5 प्रतिशत।

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कौन-कौन से जोखिम शामिल हैं?

उत्तर: **1) फसलों की बुवाई/बुवाई न कर पाने/असफल अंकुरण जोखिम:** बीमित क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसम/मौसमी दशाओं के कारण बुवाई/पौध रोपण/अंकुरण न होने से हुई हानि से सुरक्षा प्रदान करना।

2) खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक): सूखा, शुष्क स्थिति, बाढ़, जलप्लावन, व्यापक रूप से कीटों व रोगों के प्रभाव, भूस्खलन, प्राकृतिक कारणों से आग, आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि तथा चक्रवात जैसे रोके न जा सकने वाले जोखिमों के कारण उपज नुकसान को आच्छादन करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा आवरण प्रदान किया जाता है।

3) फसल कटाई के उपरान्त नुकसान: यह प्रावधान ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा और बेमौसम वर्षा होने की स्थिति में व्यक्तिगत आधार पर खेत में ''काटकर व फैलाकर/छोटे गठ्ठरों में बांधकर'' सुखाने हेतु रखी गई फसलों को फसल कटाई के पश्चात् केवल 14 दिनों की अधिकतम अवधि में हानि होने की स्थिति में संरक्षण प्रदान करता हैं।

4) स्थानीय आपदाएं: योजना के तहत स्थानीयकृत जोखिमों/आपदाओं यथा ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटने तथा अधिसूचित इकाई अथवा किसी खेत के हिस्से पर बिजली गिरने के कारण प्राकृतिक आग लगने से फसल को होने वाले नुकसान को व्यक्तिगत किसानों के खेत के स्तर पर बीमा सुरक्षा प्रदान की गयी है।

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कौन-कौन से जोखिम शामिल नहीं हैं?

उत्तर: योजना के अन्तर्गत युद्ध तथा नाभिकीय जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान, दुर्भावनापूर्ण क्षति तथा अन्य निवारण योग्य जोखिमों को (योजना से) बाहर रखा जाएगा।

प्रश्न: इस योजना के तहत गैर-ऋणी किसान बीमा कैसे ले सकतें हैं?

उत्तर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्राप्त करने के इच्छुक गैर-ऋणी किसान निकटतम बैंक शाखा/सहकारी समिति/अधिकृत चैनल पार्टनर/जन सेवा केंद्र (सीएससी)/बीमा कम्पनी या उनके अधिकृत एजेंट से सम्पर्क कर सकते हैं या निर्धारित तिथि के अंतर्गत स्वयं राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल – **https://www.pmfby.gov.in** पर ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं।

प्रश्न: क्या ऋणी कृषक बीमित फसल में परिवर्तन करा सकते हैं एवं कब तक?

उत्तर: हाँ, ऋणी कृषक सम्बंधित वित्तीय संस्थान (बैंक शाखा) में जाकर अंतिम तिथि **13 दिसंबर 2020** तक लिखित सूचना के माध्यम से बीमित फसल में परिवर्तन करवा सकते हैं।

प्रश्न: गैर ऋणी किसान द्वारा फसल बीमा लेने के लिए कौन-से दस्तावेज जमा करवाना अनिवार्य हैं?

उत्तर: गैर ऋणी किसानों को अधिसूचना अनुसार भू-अभिलेख, आधार कार्ड, बोई हुई फसल का प्रमाण पत्र (कृषि या राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा जारी), भू-स्वामी से घोषणा पत्र/अनुबंध (पट्टे की भूमि के मामले में), बैंक पास बुक कॉपी जमा कराना अनिवार्य होगा। इसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में ही परिभाषित किया गया है।

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा इकाई क्या हैं?

उत्तर: मुख्य फसलों के लिए बीमा इकाई पटवार मंडल स्तर एवं अन्य फसलों के लिए बीमा इकाई तहसील स्तर है।

प्रश्न: स्थानीय आपदाओं से फसल में नुकसान होने पर सूचना दर्ज करने की प्रक्रिया क्या हैं?

उत्तर: प्रभावित बीमित कृषक को आपदा के **72 घण्टे** के अन्दर सीधे बीमा कम्पनी के **टोल फ्री नम्बर 1800 266 0700** पर अथवा लिखित में अपने बैंक/कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सूचित करवाना आवश्यक है। यदि **72 घण्टे** में कृषक द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो कृषक द्वारा **7 दिवस** में पूर्ण सूचना निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित बीमा कम्पनी को देना आवश्यक होगा जिसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर दर्ज़ फसल आवेदन संख्या, किसान का नाम, मोबाईल नं., अधिसूचित पटवार सर्किल, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, आपदा का प्रकार, प्रभावित फसल आदि की सूचना अंकित होनी चाहिए।

कृषकों द्वारा Crop Insurance / Farmer App के माध्यम से भी फसल हानि की सूचना दर्ज की जा सकती है। Crop Insurance / Farmer App को डाउनलोड करने का लिंक निम्नलिखित है:- (https://play.google.com/store/apps/details?id=in.farmguide.farmerapp.central)

फसली ऋण लेने वाले कृषकों द्वारा योजना से अलग होने के लिए संबंधित बैंक में 8 दिसम्बर, 2020 तक लिखित में बाहर होने (Opt-out) का घोषणा पत्र दिया जाना अनिवार्य है।

मौसम खरीफ 2020 में योजना से अलग हुए कृषकों को योजना में पुन: सम्मिलित होने के लिए सम्बंधित बैंक में 8 दिसंबर 2020 तक लिखित में शामिल होने (Opt-in) का घोषणा पत्र दिया जाना अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसलों की प्रीमियम राशि तथा बीमित राशि का विवरण निम्नानुसार है:

मौसम	जिला	अधिसूचित फसल	बीमित राशि (रु./हेक्टेयर)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम (रु./हेक्टेयर)	बीमा संरक्षण/ नामांकन की अंतिम तिथि
रबी 2020-21	जैसलमेर	जीरा	65,563.00	3,278.15	ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिए बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर, 2020 है।
	जैसलमेर	चना	45,722.00	685.83	
	जैसलमेर	ईसबगोल	46,583.00	2,329.15	
	जैसलमेर	सरसों	41,703.00	625.55	
	जैसलमेर	तारामीरा	19,818.00	297.27	
	जैसलमेर	गेंहूँ	29,628.00	444.42	
	सीकर	जौं	54,172.00	812.58	
	सीकर	चना	59,943.00	899.15	
	सीकर	ईसबगोल	64,650.00	2,586.00	
	सीकर	मेथी	49,495.00	2,474.75	
	सीकर	सरसों	56,756.00	851.34	
	सीकर	तारामीरा	25,118.00	376.77	
	सीकर	गेंहूँ	68,517.00	1,027.76	
	टोंक	जौं	41,344.00	620.16	
	टोंक	चना	58,895.00	883.43	
	टोंक	मसूर	50,838.00	762.57	
	टोंक	सरसों	69,308.00	1,039.62	
	टोंक	तारामीरा	31,277.00	469.16	
	टोंक	गेंहूँ	66,937.00	1,004.06	

ई-मेल: pmfby.rajasthan@hdfcergo.com

योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया कॉल करें:
टोल फ्री नं.: **1800 2660 700**

गैर ऋणी कृषक अंतिम तिथि तक अपने निकटवर्ती वित्तीय संस्थानों जैसे कि राष्ट्रीयकृत बैंक / व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक / सहकारी समिति (PACS), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, बीमा मध्यस्थ (बीमा एजेंट) एवं कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) अथवा वेबसाइट लिंक: **https://pmfby.gov.in/farmerLogin** के माध्यम से स्वयं नामांकन के द्वारा अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं।

एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड। आईआरडीएआई रजि. नं. 146, CIN: U66030MH2007PLC177117. पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय: पहली मंजिल, एचडीएफसी हाउस, 165-166 बैकवे रेक्लेमेशन, एच.टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-400020. जोखिम घटकों, नियमों व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया बिक्री के समापन से पूर्व सेल्स ब्रोशर/प्रॉस्पेक्टस को पढ़ लें। ऊपर दर्शाये लोगो एचडीएफसी लि. और अर्गो इंटरनेशनल एजी के हैं तथा कंपनी द्वारा लाइसेंस के अंतर्गत इनका इस्तेमाल किया गया है। यूआईएन: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - IRDAN125P0003V01201617 | CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18. UID: 6445.